

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

// विविध-आदेश //

(कार्य-विभाजन में संशोधन)

क्रमांक.....³⁰ /
दो-1-1/2000

रीवा, दिनांक ³¹ / मई / 2024

सुश्री अपूर्वा पाठक, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु) को माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम 2021 के अनुसार आगामी प्रशिक्षण हेतु स्वतंत्र न्यायालय प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा-15 व 21 (4) तथा मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम 2011 के परिप्रेक्ष्य में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-10 की उपधारा-2 एवं 3 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 336/दो-1-1/2000 दिनांक 30.04.2024 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा :-

1. सरल क्रमांक 53 के पश्चात् 58-अ को निर्मित कर निम्नानुसार इबारत जोड़ी जाती है:-

क.	न्यायालय का प्रकार	प्रादेशिक अधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
58-अ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश	सिविल जिला रीवा की तहसील त्योंथर	प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण।

2. परिशिष्ट-अ की कंडिका क्रमांक 52 के पश्चात् 52-अ निर्मित कर निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

क्र0	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में जो कार्य देखेंगे
52-अ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर 2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर

शेष आदेश यथावत रहेगा।

o/c

पृष्ठांकन क्रमांक.....¹⁸⁵⁹ /
दो-1-1/2000

प्रतिलिपि:-

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ त्योंथर।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा म0प्र0।
4. फाइलिंग काउंटर के कर्मचारी त्योंथर।
5. जू0सि0ए0/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा की ओर वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रीवा (म0प्र0)

रीवा, दिनांक 31 / 05 / 2024

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

//विविध-आदेश//

(कार्य-विभाजन में संशोधन)

क्रमांक.....१०...../
दो-1-1/2000

रीवा, दिनांक ३१/मई/2024

सुश्री अपूर्वा पाठक, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु) को माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम 2021 के अनुसार आगामी प्रशिक्षण हेतु स्वतंत्र न्यायालय प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा-15 व 21 (4) तथा मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम 2011 के परिप्रेक्ष्य में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-10 की उपधारा-2 एवं 3 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 336/दो-1-1/2000 दिनांक 30.04.2024 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा :-

1. सरल क्रमांक 58 के पश्चात् 58-अ को निर्मित कर निम्नानुसार इबारत जोड़ी जाती है:-

क.	न्यायालय का प्रकार	प्रादेशिक अधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
58-अ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश	सिविल जिला रीवा की तहसील त्योंथर	प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण।

2. परिशिष्ट-अ की कड़िका क्रमांक 52 के पश्चात् 52-अ निर्मित कर निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

क्र०	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में जो कार्य देखेंगे
52-अ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर 2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर

शेष आदेश यथावत रहेगा।

पृष्ठांकन क्रमांक.....2859...../
दो-1-1/2000

प्रतिलिपि:-

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ त्योंथर।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा म0प्र0।
4. फाइलिंग काउंटर के कर्मचारी त्योंथर।
5. जू0सि0ए0/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा की ओर वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

sd/v
(राकेश मोहन प्रधान)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)
रीवा, दिनांक ३१/05/2024

31/5/24
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)